न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/140/2018

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री सुरज मल शर्मा पुत्र रेवड राम शर्मा ग्राम—पोस्ट रैणी तहसील रैणी, अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::— दिनांकः— **15.01.2019**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 09.10.2018 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूओं पर बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना उपलब्ध नही करवाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 18.12..2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर, जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 16541 दिनांक 17.12.18 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 09.10.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पत्रांक 16550 दिनांक 17.12.18 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी ने जवाब से असंतुष्ट होना जाहिर किया, लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेजात का अवलोकन कराकर सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावें।
5. अपीलार्थी ने जाहिर किया कि उन्हें किसी प्रकार की सूचना जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।
6. अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि पत्रांक 16550 दिनांक 17.12.18 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित सूचना की प्रमाणित प्रति निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित करें व साथ ही वांछित सूचना से संबंधित दस्तावेजों का उक्त निर्णय प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर—अन्दर अवलोकन कराया जावें।
7. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
8. निर्णय आज **दिनांक 15.01.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर,अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)